भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1022

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दीर्घकालिक स्थानिक और वेक्टर जनित रोगों का उन्मूलन

†1022. श्री अ. मनिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की पहचान तपेदिक, डेंगू, मलेरिया और अन्य क्षेत्र-विशिष्ट संचारी रोगों सहित दीर्घकालिक स्थानिक और वेक्टर-जनित रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता वाले जिले के रूप में की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या धर्मपुरी जिले में रोग निगरानी, शीघ्र निदान, प्रयोगशाला अवसंरचना, जागरूकता अभियानों और समय पर उपचार को सुदृढ़ करने के लिए कोई जिला-विशिष्ट स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने धर्मपुरी जिले में चल रहे रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की समीक्षा की है और स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, जनशक्ति तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच में कमियों की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा धर्मपुरी जिले में दीर्घकालिक स्थानिक रोगों के बोझ को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में निश्चित समय-सीमा के भीतर सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। तथापि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके समग्र संसाधन परिव्यय के अंतर्गत प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर, तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तपेदिक (टीबी), डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग तथा अन्य क्षेत्र-

विशिष्ट संचारी रोगों सहित दीर्घकालिक स्थानिक एवं वाहक जनित रोगों की रोकथाम, नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए समेकित रूप से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में तपेदिक मुक्त भारत अभियान (राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ देश के सभी जिलों, जिनमें तमिलनाडु का धर्मपुरी जिला भी शामिल है, में कार्यान्वित किया जा रहा है—

- तपेदिक रोगियों की शीघ्र पहचान तथा गुणवत्तापरक औषधियों एवं मानकीकृत उपचार पद्धतियों के माध्यम से समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करना।
- निजी क्षेत्र में उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों को सहायता प्रदान करने हेतु निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की भागीदारी को सुदृढ़ करना।
- संपर्क अन्वेषण (कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग) तथा तपेदिक निवारक उपचार के माध्यम से तपेदिक निवारक रणनीतियां।
- वायुजनित संक्रमण नियंत्रण।
- रोग के सामाजिक निर्धारकों के समाधान हेतु बहु-क्षेत्रीय समन्वित प्रयास।

तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले सहित देश के सभी जिलों, में तपेदिक की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

- उच्च तपेदिक भार वाले क्षेत्रों में राज्य एवं जिला-विशिष्ट रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से लक्षित कार्यकलाप।
- तपेदिक रोगियों को निःशुल्क औषधियां एवं नैदानिक (डायग्नोस्टिक) सेवाएं उपलब्ध कराना।
- मुख्य संवेदनशील एवं उच्च जोखिम वाले समूहों तथा सामूहिक निवास स्थलों में सक्रिय तपेदिक रोगी खोज अभियान।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर तक विकेन्द्रीकृत तपेदिक जांच एवं उपचार सेवाओं का विस्तार।
- रोग की अधिसूचना एवं उपचार परिणामों की रिपोर्टिंग पर प्रोत्साहनों से निजी क्षेत्र की सहभागिता।
- उप-जिला स्तर तक आणविक (मॉलिक्यूलर) नैदानिक प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- सामाजिक भय को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने तथा उपचार हेतु समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए गहन सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान।
- तपेदिक रोगियों के संपर्क में आए व्यक्तियों तथा पात्र संवेदनशील आबादी को तपेदिक निवारक उपचार उपलब्ध कराना।
- नि-क्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित तपेदिक रोगियों की सतत निगरानी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीवीबीडीसी) द्वारा राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के अंतर्गत डेंगू एवं मलेरिया सहित

वाहक जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है। तमिलनाडु का धर्मपुरी जिला लसीका फाइलेरिया, काला-अजार तथा जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए स्थानिक (एंडेमिक) जिला नहीं है।

तमिलनाडु सहित देश में वाहक जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय एवं पहलें की गई हैं—

- सक्रिय, निष्क्रिय तथा सेंटिनल निगरानी के माध्यम से रोग की शीघ्र पहचान, तत्पश्चात पूर्ण एवं प्रभावी उपचार, रेफरल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, महामारी की पूर्व तैयारी तथा त्वरित अनुक्रिया सहित रोग प्रबंधन।
- एकीकृत वाहक प्रबंधन, जिसके अंतर्गत चयनित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इनडोर रेजिडुअल स्प्रे, मलेरिया के उच्च स्थानिक क्षेत्रों में मच्छरदानियों का वितरण, लार्वाभक्षी मछलियों का उपयोग, शहरी क्षेत्रों में जैव-लार्वीनाशकों सहित लार्वा नियंत्रण उपाय तथा मच्छरों के प्रजनन स्रोतों को समाप्त करने हेतु लघु पर्यावरणीय अभियांत्रिकी उपाय अपनाए जाते हैं।
- संबद्ध मंत्रालयों के साथ उच्च स्तरीय समन्वय, क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव संसाधन विकास तथा नीति निर्माण सहित अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियों के माध्यम से सोशल मीडिया, रेडियो, समाचार-पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों द्वारा जन स्वास्थ्य संबंधी संदेशों का व्यापक प्रसार।
- राज्यों को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल (आईएचआईपी) पर आंकड़े दर्ज करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।
- सरकार द्वारा मलेरिया एवं अन्य वाहक जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य स्वास्थ्य विभागों तथा शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर स्वच्छता में सुधार, मच्छर नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने तथा जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय सहयोग किया जा रहा है।
- समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा निवारक संबंधी उपायों को प्रोत्साहित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सदस्यों तथा धार्मिक/सामुदायिक अगुवों के साथ अंतर-विभागीय समन्वय।
- कार्यान्वयन हेतु राज्यों को मामलों के प्रबंधन, रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए तकनीकी दिशानिर्देश।
- मलेरिया की शीघ्र पहचान एवं पूर्ण उपचार सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को औषधियां एवं नैदानिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- डेंगू की निगरानी एवं निःशुल्क जांच के लिए देशभर में 887 सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल (एसएसएच) तथा 27 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं (एआरएल) का नेटवर्क स्थापित किया गया है। इनमें से 46 एसएसएच तथा 1 एआरएल तमिलनाडु में स्थापित हैं। धर्मपुरी जिले में 1 सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल स्थापित है। भारत सरकार, पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) के माध्यम से सभी अधिसूचित प्रयोगशालाओं को आईजीएम परीक्षण किट उपलब्ध

कराती है।

- जमीनी स्तर तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षकों, सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं एवं अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण।
- तमिलनाडु सहित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को रोग प्रकोप की रोकथाम सहित स्वास्थ्य संवर्धन, निवारक एवं उपचारात्मक उपायों को निरंतर जारी रखने के लिए समय-समय पर परामर्श (एडवाइजरी) जारी किए जाते हैं।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के अंतर्गत उन राज्यों एवं जिलों, जिनमें तमिलनाडु का धर्मपुरी जिला भी शामिल है, जहां कुष्ठ रोग की व्याप्तता दर (पीआर) प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से अधिक है, में विशेष रणनीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

तमिलनाडु सहित देश में कुष्ठ रोग के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं—

(i) कुष्ठ रोगी पहचान अभियान (एलसीडीसी) के माध्यम से रोगियों की शीघ्र पहचान।

(ii) सभी निदानित रोगियों को निःशुल्क बहु-औषधि उपचार (एमडीटी)उपलब्ध कराना।

(iii) रोगियों के संपर्क में आए पात्र व्यक्तियों की संपर्क अन्वेषण (कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग) तथा उन्हें एकल-खुराक रिफैम्पिसिन पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (एसडीआर-पीईपी) उपलब्ध कराना।

(iv) दिव्यांगता की रोकथाम एवं चिकित्सीय पुनर्वास (डीपीएमआर)।

(v) बाल रोगियों एवं ग्रेड-II दिव्यांगता (जी-2-डी) मामलों वाले क्षेत्रों में गहन, कुष्ठ रोग अभियान, जिनमें संपर्क अन्वेषण तथा सक्रिय रोगी खोज अभियान शामिल हैं।

(vi) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) तथा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के अंतर्गत बच्चों की जांच (स्क्रीनिंग)।

(vii) सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां तथा स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता निर्माण; और

(viii) रोग की सतत निगरानी एवं कार्यक्रम की निरंतर मॉनिटरिंग।
